न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण संख्या · 10/20 — दायर दिनांक 10·6·20

1. दिनेशचन्द] पुत्रान रमेशचन्द
2. महेशचन्द]
3. दामोदरलाल पुत्र रामजीलाल
4. अरविन्द पुत्र रामदयाल
5. रविन्द्र पुत्र रामदयाल
6. राजेश्वरी पत्नि रामदयाल

} जाति वैश्य निवासी ग्राम मौंसीना तहसील भुसावर

7. मंजू पुत्री रामदयाल पत्नि प्रवीण जाति वैश्य हाल निवासी ए-21 स्कीम नम्बर 10 अलवर

———— वादीगण सायलान

<u>बनाम</u>

1. संजय] पुत्रान शिवचरण
2. अजय]
3. जया पुत्री शिवचरण
4. चन्द्रवती पत्नि शिवचरण

} जाति यान वैश्य नि० मौंसीना तह० भुसावर हाल जान जया मैडीकल हास्पीटल डॉ संजय अग्रवाल F 27/1 रुचिका कॉम्पलैक्स किसान मार्ग मधुबन कालोनी बरकत नगर जयपुर

5. राकेश पुत्र रामदयाल
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भुसावर

——— प्रतिवादीगण गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर·टी·ए 1955

अधिवक्ता [श्री चन्द्रप्रकाश डागुर (वादीगण)] [श्री प्रकाश चन्द - वादीगण]

श्री गिरिराज प्रसाद] प्रतिवादीगण
श्री P·K रुकवानी]

निर्णय दिनांक 05-03-2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 100/0·2000, 102/0·0300, 103/0·3800, 109/0·3200, 164/0·1100, 165/0·1800, 166/0·4400, 167/0·1100, 170/0·3800, 171/0·3400, 172/0·2800, 176/0·3400, 738/0·1600, 739/0·3200, 750/0·2300, 886/0·1500, 1052/0·6700, 1166/0·2700, कुल किता 18 रकबा 4·9100 हैक्टर वाके ग्राम मौंसीना तहसील भुसावर में स्थित है। जिसमें वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक

---- लगातार

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

1/8, 1/8 हिस्से के व वादी सं० 3 1/4 हिस्से का तथा वादीगण सं० 4 लगायत 7 व प्रतिवादी सं० 5 प्रत्येक 1/20, 1/20 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं तथा उसी प्रकार राज सरकार को लगान अदा करते हैं।

उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसका आज तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण शामिल शरीक में काश्त कर अपने उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं तथा वे हमारे हिस्से से बेदखल महरूम करने के उद्देश्य से उन्हें शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे हैं तथा सड़क एवं रास्तों पर अच्छी आराजी को लेना चाहते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन होने तक अप्रार्थीगण को रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी डॉक द्वारा की गई। नोटिस की तामील में अप्रार्थी संजय स्वयं उपस्थित हुआ तथा वादी के वकील द्वारा प्र०पत्र 08R। जा० दी० पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकालतनामा श्री गिरिराज प्रसाद, तथा P.K. उकवाली ओर से वकालतनामा तथा जवाब प्रा० पत्र के 212 RTA पेश किया गया तथा दिनांक 22.2.21 को श्री प्रकाश चन्द द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

------ लगातार

Scanned with CamScanner

हमने ~~इमके~~ उभय पक्ष कारान को बहस सुनी गई ! प्रार्थीगण एवं उन के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रा०पत्र 212 RTA में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 संजय स्वयं उपस्थित उन्होंने जवाब प्रार्थना - पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया हम अप्रार्थीगण को बैंक K.C.C. प्राप्त करने की हद तक छूट मिले !

हमने उभय पक्ष की दलीलों व बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में बगौर अध्ययन किया गया तो पाया कि भूमि का वाई मीट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ। सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना ~~है~~ वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी एवं कानूनी पेचीदगीओं से बचने की दृष्टि से प्रार्थना - पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है पूर्व जारी हुआ स्थगन दिनांक 17.6.20 में आंशिक संशोधन करते हुए उभयपक्षकारान के विरुद्ध अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती है कि आ०खसरा 100/0.2000, 102/0.0300, 103/0.3800, 109/0.3200, 164/0.1100, 165/0.1800, 166/0.4400, 167/0.1100, 170/0.3800, 171/0.3400, 172/0.2800, 176/0.3400, 738/0.1600, 739/0.3200, 750/0.2300, 886/0.1500, 1052/0.6700, 1166/0.2700 हैसियत कोर ग्राम मेतौली तहसील मुतअल्लक की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत ~~बनाये रखे~~ ता फैसला दावा बनाये रखें। साथ ही उक्त स्थान में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 04 को K.C.C प्राप्त करने की अपनी हिस्से की आराजीयात में छूट रहेगी !

निर्णय लिखा या जाकर स्वरे इजलास सुनाया गया ! पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो !

(हस्ताक्षर)
मुनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)